न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व अपील संख्या–59 / 2017
तारीख निर्णय– 24 / 12 / 2019

अपीलान्ट

1. पीथाराम पुत्र गलाजी
2. मृतक कुपाराम पुत्र गलाजी के वारिसान

अ. अणसी बाई पत्नी कुपाराम
ब. प्रभुलाल पुत्र कुपाराम
स. गजरा पुत्री कुपाराम
द. पोनी देवी पत्नी गोरधनलाल
य. प्रकाश पुत्र गोरधनलाल
र. दिलीप पुत्र गोरधनलाल

तमाम् जातिगण–मेघवाल निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

रेस्पोडेन्ट

मृतक लखमा पुत्र गलाजी के वारिसान

1. हिम्मताराम पुत्र लखमाजी
2. नेनाराम पुत्र लखमाजी
3. अमरी बाई पत्नी लखमाजी
4. शान्ति पुत्र लखमाजी

तमाम जातिगण–मेघवाल, निवासीगण–देसूरी, तहसील–देसूरी जिला–पाली

5. सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट

उपस्थिति–

1–वकील श्री हुकम सिंह सोलकी अपीलान्ट की ओर से।
2–वकील श्री सुधीर श्रीमाली रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न....2 पर

(सहायक कलेक्टर)
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– दिनांक– 24/ 12/2019

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या नामान्तरण संख्या–600 दिनांक 13.09.1968 को निरस्त करने हेतु यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत की है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मृत लखमा के नाम बिना किसी आधार एवं बिना किसी उचित कानूनी जांच के भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपीलान्ट प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सकी थी। एवं अपीलान्ट को इस बाबत अक्टूबर 2017 मे जानकारी हुई जिस पर इस संबंध में तहसील कार्यालय में अपीलान्ट प्रार्थीगण ने छानबीन करवाई एवं इसकी प्रतिलिपी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतिलिपि दिनांक 26.10.2017 को प्राप्त होने पर अपील प्रसतुत की है जो अन्दर अवधिकाल पेश है। पुर्व में अपीलान्ट को इस बाबत जानकारी नहीं हो सकी थी जिससे कानूनन अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से अपील अन्दर म्याद मानी जाकर मेरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः विधि एवं नैसार्गिक न्याय के सिद्वान्तों को मध्य नजर रखते हुये डिले कन्डोन किया जाना न्यायसंगत होगा एवं अपील मैरिट पर निस्तारण किया न्यायसंगत होगा।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 13.09.1968 की जानकरी माह अक्टुबर 2017 मे हुई यह गलत है। अपीलान्ट ने प्रथमत रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम के भाईयों, बहनों, माता से दुःर्भिसधि कर रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम से इसी वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित विवाद करवाया। तभी हिम्मताराम ने सन् 2013 में रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम ने राजस्व वाद संख्या 115/2012 श्रीमान न्यायालय में हिम्मतराम बनाम नैनाराम के अनवान पेश किया। उक्त में अपीलान्ट ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का दिनांक 29.04.2014 को पेश किया। जो प्रार्थना पत्र का जबाव रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम ने पेश किया तब अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया। जिसमें भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को पूर्व में इस नामान्तरण एवं उसमें वर्णित कृषि भूमि के संबंध में जानकारी थी। इतना ही नही अपीलान्ट ने स्वंय ने उसके पश्चात एक राजस्व वाद श्रीम[illegible]यालय में राजस्व वाद संख्या 130/2016 इसी कृषि भूमि में [illegible] से खातेदारी घोषणा का वाद पीथाराम ब[illegible]नवान से पेश किया। जिसमें रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम ने विस्तुत जबावदावा भी पे[illegible] किया है। उक्त जबावदावा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न.....3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भी वादग्रस्त आराजी किस प्रकार रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम के पिता लखमाजी की थी, वर्णित किया है तथा वाद हेतुक के पद संख्या छः में भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम के पिता लिखमाराम के नाम उक्त कृषि भूमि आंवटित होने तथा इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार होने के तथ्य वर्णित किये है। उक्त आवंटन/ नियमन एवं इन्द्राज आज तक प्रभावी व वैध है जिसके बिना प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजात से यह पूर्णतया साबित है कि गलत कार्यवाही अपीलान्टस ने की उसको पूर्व से जानकारी है। इस अपील में यह प्रार्थना पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम का गलत, मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर अवधि वर्जित अपील पेश की है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त है। सन् 1968 से लगाय आज तक को डिले कन्डोन नही किया जा सकता है। जिससे अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 3148 जिसके पुराने खसरा नम्बर 268/19 की आराजी मृतक कुपाराम व पीथाराम व मृतक लखमाराम पिता गलाजी तीनों भाईयों की थी। परन्तु उक्त मिताक्षरा सयुक्त हिन्दू परिवार की विवादग्रस्त आराजी का एक सदस्य लिखमा (लखमाराम) के अकेले के नाम नामान्तरकरण संख्या 600 स्वीकृत बिना किसी आधार व बिना किसी कानूनी जांच के स्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारों एव वजुहातों पर उक्त नामान्तरण संख्या–600 दिनांक 13.09.1968 को निरस्त करने हेतु यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट प्रार्थीगण को इसकी जानकारी अक्टूबर 2017 में छानछीन करवाई एवं प्रतिलिपि दिनांक 26.10.2017 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की है जो अन्दर अवधिकाल है इसकी जानकारी पूर्व मे अपीलान्ट नही थी। जिससे कानूनन अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई उसे माफ कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानी जाकर मेरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा अन्यथा अपीलान्ट न्याय प्रप्ति से वचित हो जायेगे एवं अपीलान्ट प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी एवं अपीलान्ट प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन होगा।अतः न्यायहित में अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ड ने निवेदन किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन अपील निर्णीत करने के पूर्व मियाद का निर्णित किया जाना चाहिए। अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 13.09.1968 की जानकरी माह अक्टुबर 2017 में हुई यह गलत है।हिम्मताराम ने सन् 2013 में रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम ने राजस्व वाद संख्या 115/2012 श्रीमान न्यायालय में हिम्मताराम बनाम नैनाराम के अनवान पेश किया। उक्त में अपीलान्ट

लगातार पेज न.....4 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का दिनांक 29.04.2014 को पेश किया जिसमें भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को पूर्व में इस नामान्तरण एवं उसमें वर्णित कृषि भूमि के संबंध में जानकारी थी। अपीलान्ट ने स्वंय ने उसके पश्चात एक राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 130/2016 इसी कृषि भूमि में हक, अधिकार प्राप्त करने की नियत से खातेदारी घोषणा का वाद पीथाराम बनाम हिम्मतराम के अनवान से पेश किया। जिसमें रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम ने विस्तुत जबावदावा भी पेश किया है। उक्त जबावदावा में भी वादग्रस्त आराजी किस प्रकार रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम के पिता लखमाजी की थी, वर्णित किया है तथा वाद हेतुक के पद संख्या छः में भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट हिम्मतराम के पिता लिखमाराम के नाम उक्त कृषि भूमि आंवटित होने तथा इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार होने के तथ्य वर्णित किये है। अतः 1968 के बाद 51 वर्ष पश्चात् नामान्तरण अपील मेन्टेनेबल नही है क्योकि नामान्तरकरण की अपील की अवधि एक माह है।

वकील रेस्पोडेन्ड ने अपनी बहस के समर्थन में फहरिस्त दस्ताबेज व निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. 2011(1) आरआरटी पेज न. 421
2. 2011(1) आरआरटी पेज न. 786
3. 2013(2) आरआरटी पेज न. 1252
4. 2015(1) आरआरटी पेज न. 369

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील निर्णीत करने के पूर्व परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 का निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील अपीलान्ट द्वारा विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील में धारा–5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलम्ब को कण्डोन करने हेतु अपीलान्ट ने जो तथ्य पेश किये उन पर विवेचन करने तथा वकील रेस्पोडेन्ड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 13.09.1968 की जानकारी माह अक्टुबर 2017 से पूर्व में अपीलान्ट को हो गई थी। जिसके उपरान्त अपील इतने लम्बे समय अतंराल के बाद पेश की गई। ऐसी अपील पूर्व से कालबधित होने से मेन्टेनेबल नही है। अतः धारा–5 परिसीमा अधिनियम [illegible] खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.) देसूरी देसूरी (पाली)